संख्या-204/2024/680/22-2-2023-17(799)/2021

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरा पुत्र गाजुद्दीन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शेरा पुत्र गाजुद्दीन, निवासी-एच-261, शहीद नगर, थाना-साहिबाबाद, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.02.1991 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 500/- रूपये को मांगने के विवाद को लेकर जुम्मा नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-148/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-9, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 22.04.1993 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.09.2014 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.08.2022 तक अपरिहार 10 वर्ष 05 माह 19 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष 01 माह 24 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, समयपूर्व रिहा होने पर पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 02.08.2022 तक बंदी की 64 वर्ष 01 माह की आयु, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरा (बन्दी संख्या-48357) पुत्र गाजुद्दीन, निवासी-एच-261, शहीद नगर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

थाना-साहिबाबाद, जनपद-गाजियाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-204/2024/680(1)/22-2-2023-17(799)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।